भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1824

उत्तर देने की तारीख : 02 मार्च, 2020

जनजातियों की भाषाओं, लोक नृत्य, कला और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन

1824. श्री दिलीप घोष :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पश्चिम बंगाल सहित जनजातियों की भाषाओं, लोक नृत्यों, कला और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन हेतु चलाई जा रही योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु पश्चिम बंगाल में परियोजना-वार दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु प्रयुक्त निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(क) : भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल सहित देश भर में जनजातियों की लोक कला और संस्कृति के विभिन्न रूपों को परिरक्षित और संवर्धित करने के उद्देश्य से सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) की स्थापना की है जिनके मुख्यालय पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में स्थित हैं। ये जेडसीसी देश भर में नियमित आधार पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलाप और कार्यक्रम आयोजित करते हैं। संस्कृति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन ये जेडसीसी लोक/जनजातीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमें भी संचालित करते हैं जिनका विवरण संलग्न है **(अनुलग्नक)**।

संस्कृति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन स्वायत्त संगठन, साहित्य अकादेमी भाषाओं, विशेषकर गैर-मान्यता प्राप्त और जनजातीय भाषाओं के परिरक्षण और संवर्धन को प्रोत्साहित करती है। अकादेमी इस संबंध में देश भर में समय-समय पर भाषा सम्मेलन आयोजित करती है।

(ख) : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीधे कोई निधियां प्रदान नहीं की जाती हैं। तथापि, सभी जेडसीसी को पश्चिम बंगाल सहित उनके सदस्य राज्यों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलाप और कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वार्षिक सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जेडसीसी को प्रदत्त सहायता अनुदान निम्नानुसार है :

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	**वर्ष**	**राशि**
i.	2016-17	6085.07
ii.	2017-18	4689.71
iii.	2018-19	5952.69
iv.	2019-20 (अब तक)	5655.75

अनुलग्नक

जनजातियों की भाषाओं, लोक नृत्य, कला और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के संबंध में दिनांक 02 मार्च, 2020 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1824 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) द्वारा संचालित की जा रही स्कीमें

i. **युवा प्रतिभाशाली कलाकारों को पुरस्कार प्रदान करना :** ''युवा प्रतिभाशाली कलाकार'' नामक इस स्कीम को दुर्लभ कला रूपों के क्षेत्र में विशेषकर युवा प्रतिभावान कलाकारों को प्रोत्साहित करने और उन्हें मान्यता प्रदान करने के लिए संचालित किया जाता है। 18-30 वर्ष के आयु वर्ग के प्रतिभावान युवा कलाकारों का चयन किया जाता है और उन्हें 10000/- रुपए का एकबारगी नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

ii. **गुरु-शिष्य परंपरा :** इस स्कीम में हमारी मूल्यवान परंपराओं को भावी पीढ़ियों को अंतरित करने का प्रावधान किया गया है। शिष्यों को दुर्लभ और विलुप्त हो रहे कला रूपों में अनुभवी गुरुओं के द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। क्षेत्र के दुर्लभ और विलुप्त प्राय कला रूपों की पहचान की जाती है और 'गुरुकुल' परंपरा में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए प्रसिद्ध प्रतिपादकों का चयन किया जाता है। एक स्कीम के लिए छह माह से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक गुरू को 7,500/- रुपए, संगतकार को 3,750/- रुपए और शिष्य को 1,500/- रुपए का मासिक पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। गुरूओं के नामों की सिफारिश राज्य सांस्कृतिक कार्य विभागों द्वारा की जाती है।

iii. **रंगमंच नवीनीकरण :** मंच प्रस्तुतियों और निर्माण अभिमुखी कार्यशालाओं आदि सहित रंगमंच कार्यकलापों को संवर्धित करने के लिए टीए और डीए को छोड़कर प्रति शो 30,000/- रु. तक मानदेय प्रदान किया जाता है। इन समूहों को इनके परिचय के साथ-साथ इनके द्वारा प्रस्तुत परियोजना की गुणवत्ता के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है।

iv. **अनुसंधान एवं प्रलेखन :** संगीत, नृत्य, रंगमंच, साहित्य, ललितकला आदि के क्षेत्र में लोक, जनजातीय एवं शास्त्रीय सहित विलुप्त हो रहे दृश्य एवं मंच कला रूपों को प्रिंट/श्रव्य–दृश्य मीडिया में परिरक्षित, संवर्धित और प्रसारित करना। राज्य सांस्कृतिक विभाग के परामर्श से कला रूप को अंतिम रूप दिया जाता है।

v. **शिल्पग्राम :** सेमिनार, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों, शिल्पकला मेलों के आयोजन द्वारा क्षेत्र की लोक एवं जनजातीय कला तथा शिल्प कला का संवर्धन करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले शिल्पकारों को अभिकल्प विकास और विपणन सहायता प्रदान करना।

vi. **ऑक्टेव :** अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा नामक आठ राज्यों वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र से लेकर शेष भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन और प्रसार करना।

vii. **राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (एनसीईपी) :** इसे क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की जीवन रेखा के रूप में उल्लिखित किया जा सकता है। इस स्कीम के अंतर्गत सदस्य राज्यों में मंचकलाओं, प्रदर्शनियों, यात्राओं आदि से संबंधित विभिन्न महोत्सव आयोजित किए जाते हैं। अन्य क्षेत्रों/राज्यों से कलाकारों को इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। देश के अन्य भागों में आयोजित होने वाले महोत्सवों में इस क्षेत्र के कलाकारों को भी भाग लेने के लिए सुविधा प्रदान की जाती है। क्षेत्रीय केंद्र सदस्य राज्यों में होने वाले प्रमुख महोत्सवों में भी, इन महोत्सवों के दौरान कला प्रस्तुतियों का प्रबंधन करते हुए भाग लेते हैं, जहां बड़ी संख्या में दर्शकों को अन्य क्षेत्रों के कला रूपों का आनंद लेने और उन्हें समझने का अवसर प्राप्त होता है। ये महोत्सव हमारे देश की विभिन्न संस्कृतियों का आनंद लेने और उन्हें समझने का अवसर प्रदान करते हैं।